प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक– 13.10.2021

नाम बदलकर मोबाइल फोन से झूठा आरोप लगा कर ब्लैक–मेल करने वाली महिला व उसके दो साथी गिरफ्तार (थाना पट्टी)

जनपद प्रतापगढ़ के एक आरक्षी के मोबाइल नं0 पर एक महिला जिसने अपना नाम काजल यादव एवं पता ग्राम कसेरूआ थाना मीरपुर जनपद जौनपुर बताया। उक्त महिला द्वारा आरक्षी के मोबाइल पर फोन करके बात की गयी व धीरे–धीरे उससे मित्रता बढाई गयी। बात–चीत के दौरान उक्त महिला काजल यादव द्वारा संबंधित आरक्षी की पूरी जानकारी प्राप्त करली गयी, उसके उपरान्त काजल यादव द्वारा उक्त आरक्षी से दो लाख रूपये की मांग की गयी। आरक्षी द्वारा मना करने पर उसे झूठा आरोप लगाकर फसाने की धमकी दी गयी। इसके बाद भी जब आरक्षी द्वारा पैसे नहीं दिये गये तो उक्त महिला काजल यादव ने दिनांक 09.10.2021 को 112 नंबर पर कॉल करके यह झूठी सूचना दी गयी कि उक्त आरक्षी मेरा पति हैं जिसका संबंध अन्य महिलाओं से हो गया हैं और वो मुझे घर से निकाल रहा है। इस सूचना पर पुलिस महिला के बताये स्थान पर पहुंची पर वह महिला कहीं नहीं मिली।

कल दिनांक 12.10.2021 को महिला काजल यादव द्वारा पुनः उक्त आरक्षी को फोन करके पैसे मांगे गये और धमकी दी गयी कि पैसे देदो नही ंतो इस तरह फंसा दूंगी कि तुम्हारी नौकरी चली जायेगी। इस पर उक्त आरक्षी द्वारा बताया गया कि मैं थाना क्षेत्र पट्टी में हूं, तुम यहीं आ जाओ और पैसे ले लो। उसके कई घण्टे बाद उक्त महिला द्वारा फोन करके बताया गया कि मैं उड़ैयाडीह बाजार में हूं यहीं पर आकर रूपये दे दो।

इस पर थाना पट्टी पुलिस महिला आरक्षियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से उड़ैयाडीह पहुंची। उड़ैयाडीह बाजार में पहुचने पर प्रकरण से संबंधित आरक्षी, उक्त महिला से मिला। इस पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर उक्त महिला को हिरासत में लिया गया।

पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ में उक्त महिला ने अपना असली नाम–पता रोशनी सरोज पुत्री राकेश सरोज नि0 कसेरूआ थाना मीरपुर जनपद जौनपुर बताया और यह भी बताया कि मैं अपने दो साथियों 01. अखिलेश सरोज पुत्र राम अछैबर सरोज नि0 गुढ़ाई थाना मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर 02. मुकेश सिंह पुत्र गुलाब सिंह नि0 कीरतीपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही के साथ मोटर साइकिल से यहां आयी हूं। उक्त महिला की निशानदेही पर उड़ैयाडीह बाजार से ही उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग इसी प्रकार रोशनी सरोज से बात करवा कर लोगों को फंसा कर उनसे रूपये ले लेते है। इसी तरह आज भी हम यहां रूपये लेने आये थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. रोशनी सरोज पुत्री राकेश सरोज नि0 कसेरूआ थाना मीरपुर जनपद जौनपुर।
02. अखिलेश सरोज पुत्र राम अछैबर सरोज नि0 गुढ़ाई थाना मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर।
03. मुकेश सिंह पुत्र गुलाब सिंह नि0 कीरतीपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 376/2021 धारा 384, 420 भादंवि बनाम उपरोक्त सभी अभियुक्त।

एक अदद तमंचा व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ, 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना लालगंज)–

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरंतर दिये जा रहे निर्देश के क्रम में कल दिनांक 12.10.2021 की रात्रि को थाना लालगंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र लालगंज के कटरा दुग्धा पुरवारा के पास से एक व्यक्ति पंकज पटेल पुत्र पिन्ने पटेल नि0 कटरा दुग्धा पुरवारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, बरामद किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 656/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. पंकज पटेल पुत्र पिन्ने पटेल नि0 कटरा दुग्धा पुरवारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. एक अदद तमंचा 315 बोर।
02. तीन अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम– उ0नि0श्री रामानुज यादव, आरक्षी महेश चौधरी व आरक्षी श्री राम सिंह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना हथिगवां)–

जनपद प्रतापगढ़ के थाना हथिगवां से व0उ0नि0 श्री रामआधार सिंह यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 143/21 धारा 363, 366, 367 भादंवि व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त पंकज सरोज उर्फ सावन पुत्र रामसेवक सरोज नि0 चनपुरवा (जहानाबाद) थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के काइमा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. पंकज सरोज उर्फ सावन पुत्र रामसेवक सरोज नि0 चनपुरवा (जहानाबाद) थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम– व0उ0नि0 श्री रामआधार सिंह यादव, मुख्य आरक्षी राजानाती व आरक्षी विपिन कनौजिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना बाघराय)–

जनपद के थाना बाघराय से उ0नि0 श्री हरिमोहन राजपूत मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित/वारंटी/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर एसटी नं0 227/18 एवं मु0अ0सं0 70/17 धारा 366 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित वारंटी अभियुक्त बब्लू गौतम पुत्र हरिश्चन्द्र नि0 बिछलापुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को उसके ग्राम बिछलापुर से गिरफ्तार किया गया।